

श्री मंजीत कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या
18/2/1182 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	तारांकित प्रश्न सं०-18/2/1182	उत्तर प्रतिवेदन
1	<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—</p> <p>क्या यह बात सही है कि सारण मुख्य नहर के शीर्ष बिन्दु 113 से छपरा शाखा नहर के सर्विस रोड का पक्कीकरण का कार्य वर्ष 2014 में प्रारम्भ किया गया; जो आधा-अधूरा ही छोड़ दिया गया है जिससे पथ का वांछित उपयोग बाधित है और उस पर हुए व्यय व्यर्थ हो गए है, यदि हां, तो सरकार उक्त शेष कार्य को कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?</p>	<p>1. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत छपरा शाखा नहर, सारण मुख्य नहर के वि०दू० 113 (कि०मी० 34.45) से निःसृत है। छपरा शाखा नहर की कुल लंबाई कि०मी० 73.50 है।</p> <p>2. प्रश्नगत नहर के कि०मी० 14.32 से 25.91 तक के अंश में सेवा पथ का कालीकरण कार्य की निविदा की गयी थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारम्भ कर 2023-24 में पूर्ण करा लिया गया था। उक्त सेवापथ अंश वर्तमान में अच्छी स्थिति में है।</p> <p>3. इसके अतिरिक्त प्रश्नगत नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 14.32 तथा कि०मी० 25.91 से नहर के अंतिम बिन्दु कि०मी० 73.50 के अंश में नहर सेवापथ के पक्कीकरण की कोई योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया गया है। उक्त अंश कच्चा परन्तु नहर निरीक्षण हेतु आवागमन योग्य है।</p> <p>4. आमजन के उपयोग हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखकर सड़क निर्माण करने वाले विभाग द्वारा अगर इस नहर सेवा पथ की पक्कीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की जाती है, तो नियमानुसार निर्गत कर दी जाएगी।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि०स०प्र०(सि०)-05-45/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-18/2/1182 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-45/2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-45/2026-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-45/2026-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1462

पटना, दिनांक- 25/03/26

Anil Kumar Gupta
25/03/26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
Anil Kumar Gupta
25/03/26